



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022020-216392
CG-DL-E-25022020-216392

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 783]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2020/फाल्गुन 6, 1941

No. 783]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020/PHALGUNA 6, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2020

का.आ. 856(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ड) के उप-खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2641(अ), 05 अगस्त, 2016, का.आ. 4176(अ), 27 अगस्त, 2018 और का.आ. 5391(अ), 24 अक्तूबर, 2018 को अधिकांत करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का (2) की धारा 45-अ के खंड (च) में यथा निर्धारित एक सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक की आस्ति वाली ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों जो पचास लाख रुपए और उससे अधिक के सभी प्रतिभूत ऋणों के संबंध में प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए हकदार होंगी, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वित्तीय संस्थाओं के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 31/52/2018-डीआरटी]

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2020

S.O. 856(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in supersession of the notifications of the Government of India, Ministry of Finance numbers S.O. 2641(E), dated the 5th August, 2016, S.O. 4176 (E) dated the 27th August, 2018, and S.O. 5391(E) dated 24th October, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies such non-banking financial companies as defined in clause (f) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), having assets worth rupees one hundred crore and above, which shall be entitled for enforcement of security interest in secured debts of rupees fifty lakh and above, as financial institutions for the purposes of the said Act.

[F. No. 31/52/2018-DRT]

VANDITA KAUL, Jt. Secy.